उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

अपील आदेश संख्या 68/2018

श्रीमती साधना शर्मा ..... अपीलार्थी

बनाम

सुरेश चन्द्र ..... प्रतिवादी।

उपस्थितः—

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता— श्री सुधीर कुमार।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता— श्री करन आनन्द।

दिनांकः 13 अप्रैल, 2022

निर्णय

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दायर की गयी वर्तमान अपील में अपीलकर्ता, 2017 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 159 साधना शर्मा बनाम सुरेश चन्द्र, में दावेदार है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दावेदार /अपीलकर्ता द्वारा इस प्रकार दायर की गयी, दावा याचिका को 31 जनवरी, 2018 के आक्षेपित निर्णय और पंचाट द्वारा खारिज कर दिया गया है, और इसलिए आदेश की वर्तमान अपील।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि दावाकर्ता/अपीलार्थी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 19 जुलाई, 2017 को स्थापित की गयी दावा याचिका के अनुसार, उसने दावा याचिका में प्रस्तुत किया है कि वाहन कार का मालिक यानी प्रतिवादी पक्ष संख्या 1, सुरेश चन्द्र उस कार का एक पंजीकृत मालिका था, जिसका पंजीकरण नम्बर यू0के0 07 टी0ए0 9195 था, जिसे कथित तौर पर वाहन के चालक द्वारा तेजी और लापरवाही से चलाया गया था, जिसके परिणाम रूवरूप 08 जून 2016, को दुर्घटना घटित हुई, जिसके कारण दावा याचिका में विकसित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार, दावा याचिका के खंड 10 में तर्क दिया गया था, जोकि निम्नलिखित निकाला गया है :—

''दिनांक 08.06.2016 को घायल श्रीमती साधना शर्मा जब घाट रोड बाजार से अम्बेड़कर चौक होते हुए वापस अपने घर पैदल आ रही थी तो समय लगभग 07:45 बजे सायं स्थान रेलवे रोड, छाया टाकीज, के सामने, विपक्षी संख्या 1 कार से अत्यधिक तेजी व लापरवाही से चलाकर अम्बेडकर चौक की तरफ से आया और घाट रोड की तरफ से आ रहे ऑटो ने तेजी से टककर मारी, दुर्घटना के समय प्रार्थिया/क्लेमेंटस ऑटो के

नीचे दब गयी तथा इस दुर्घटना मे आयी चोटों के कारण, पैटीशनर बुरी तरह से घायल हुई।''

3. प्रतिवादी संख्या 1 की कार के चालक ने जब वाहन से अपना नियंत्रण खो दिया था, तो वह ऑटो रिक्शा से टकरा गई और दावा याचिका में दावेदार ने यह स्वीकार किया है कि 08 जनवरी 2016 को हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप वह ऑटो रिक्शा जिस पर वाहन टकराया, दावाकर्ता पर गिर गयी, जोकि सड़क के बायी ओर चल रहा था और इस कारण दावाकर्ता गिर गयी और ऑटो रिक्शा उसके ऊपर गिर गया था, जिससे उसे चोटें आयी है।

4. दावा याचिका से पूर्व मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए थे और दावे के पक्षकारों की सारणी के अनुसार कार के मालिक को विशेष रूप से कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में चयनित किया गया था, परन्तु यदि दावा याचिका के पैरा 10 में दिए गए कथन पर विचार किया जाता है तो, वास्तव में, यह अस्थायी रूप से कहा जा सकता है कि (आगे आने वाले कारणों से) वास्तविक वाहन जो दावेदार को चोट पहुंचाने में सहायक था, वह ऑटो रिक्शा था, लेकिन कुछ कारण जोकि दावाकर्ता की जानकारी में थे, ना ही वाहन स्वामी, ना ही ऑटो रिक्शा के चालक को दावा याचिका जोकि 19.07.2017 को दायर की गयी थी, में पक्षकार बनाया गया था, जबकि दुर्घटना घटित होने के तथ्य और चोट आने की घटना का कारण ऑटो रिक्शा की टककर था, जोकि दावाकर्ता पर गिर गया था, जोकि स्वीकृत तथ्य है और अभिलेखों द्वारा स्थापित है।

5. दावा याचिका के पैरा 10 में दी गयी दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए एक तथ्य बहुत स्पष्ट है कि दावेदार द्वारा अभिकथित चोटों का कारण उस पर ऑटो रिक्शा गिरना था। अवर न्यायालय के समक्ष दावेदार का यह तथ्य कभी नहीं था कि दुर्घटना, दावा याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् वाहन के मालिक द्वारा की गयी थी, जिसे वह चला रहा था और उस घटना के सम्बन्ध में, इस न्यायालय का मत है, कि तार्किक निष्कर्ष, जो दलील और साक्ष्य से निकाला जा सकता है कि दावेदार को दुर्घटना में ऑटो रिक्शा की संलिप्तता और ऑटो रिक्शा द्वारा दुर्घटना के कारण चोटों का कारित होने के के बारे में पता था और इस अभिकथन की जानकारी की स्वयं आवश्यकता थी कि ऑटो रिक्शा के मालिक या ऑटो रिक्शा के चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत शुरू की गयी दावा कार्यवाही के विपरीत पक्ष के रूप में आरोपित किया जाना चाहिए था, लेकिन अपीलकर्ता ने उसे ज्ञात कारण के लिए ऑटो रिक्शा के मालिक को कार्यवाही में प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं करने का विकल्प चुना है।

6. नोटिस प्राप्ति के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात् कार के मालिक श्री सुरेश चन्द्र ने अपना जवाबदावा कागज संख्या 27बी दाखिल किया था और दावे के कथनों को अस्वीकार करते हुए, उसके द्वारा पैरा 14 में अपने जवाबदावा में यह विशिष्ट अभिकथन किया गया था कि वास्तव में दुर्घटना का कारण उसकी कार नहीं है, बल्कि दुर्घटना का कारण ऑटो रिक्शा या उसका चालक है, जिससे दावेदार को चोट पहुंचायी गयी थी और जबकि दावेदार द्वारा अपने दावे में उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए दावेदार द्वारा अपने दावे में ऑटो रिक्शा को पक्षकार ना बनाए जाने के कारण आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के दोष से ग्रसित है।

7. प्रतिवादी पक्ष द्वारा दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को अपना जवाबदावा दायर किया गया था। विद्वान मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांकित दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए गए थे।

''1– क्या दिनांक 08.06.2016 को समय लगभग 07:45 बजे सायं स्थान रेलवे रोड, छाया टाकिज के सामने ऋषिकेश में वाहन कार संख्या यू0के0 07 टी0ए09195 के चालक ने उक्त कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर घाट रोड की तरफ से आ रहे ऑटो में टक्कर मारी जिससे उक्त ऑटो सड़क के किनारे चल रही याची साधना शर्मा के ऊपर गिर गया, जिससे याची उक्त ऑटो के नीचे दब गयी और उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण बुरी तरह घायल हो गयी?

2– क्या याचिका के आवश्यक पक्षकार के अंसयोजन से दूषित है?

3– क्या याची वांछित अनुतोष पाने की अधिकारी है, यदि हां तो किस पक्षकार से?''

8. 10 नवम्बर, 2017 को विवाद्यक विरचित किए जाने के स्तर पर भी, इस तथ्य के अतिरिक्त कि आवश्यक पक्षकार के असंयोजन की विशिष्ट दलील जवाबदावा में की गयी थी, जब 10 नवम्बर, 2017 को विवाद्यक विरचित किए गए, दावा याचिका में आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के दोष की जानकारी भलीभांति दावाकर्ता के संज्ञान और जानकारी में आ गयी थी, क्योंकि ऑटो रिक्शा का असंयोजन, जिसको दावा याचिका के पैरा 10 में स्वयं दावाकर्ता ने चोटें कारित करने में सहायक होने का अभिकथन किया है, इस अवसर पर भी, जोकि दावाकर्ता को, प्रथम बार 17.07.2017, द्वितीय बार 10 नवम्बर, 2017 को जब जवाबदावा दायर किया गया तथा तृतीय बार जब उसी दिनांक पर विवाद्यक विरचित किए गए, परन्तु फिर भी ऑटो रिक्शा के मालिक और चालक के, प्रतिवादी के तौर पर संयोजन के लिए उपयुक्त प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और फिर भी दावा याचिका, जैसे की वह विवाद्यक विरचन के दिनांक पर थी, की दावा कार्यवाही में प्रतिभाग करता रहा। इस न्यायालय का विचार है कि अपीलकर्ता अपीलीय स्तर पर, दावा याचिका में उचित पक्ष को पक्षकार ना बनाए जाने के लिए अपनी गलतियों या

निष्क्रियता के प्रभाव का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, जिसका मुआवजे के दायित्व के निर्धारण पर सीधा असर पड़ेगा, जो यदि दावेदार की 08 जून 2016 को दुर्घटना के कारण उसे लगी चोटों के परिणामस्वरूप प्राप्त करने का हकदार था।

9. प्रतिकर के दायित्व के भार के स्थानांतरण की जिम्मेदारी, चाहे वह ऑटो रिक्शा के मालिक द्वारा पूरी की जानी हो या वाहन के मालिक, अर्थात प्रतिवादी पक्ष, का निस्तारण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा प्रभावी रूप से किया जा सकता था, यदि अपीलकर्ता ने इस तथ्य की जानकारी होने के बाद, कि दावा याचिका आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के दोष से ग्रसित है, ऑटो रिक्शा को पक्षकार बनाए जाने का विकल्प चुना होता। चूंकि कार्यवाही के दो चरणो में प्रस्तुत होने और न्यायालय को दावे के गुणदोष पर सम्बोधित करने में प्रतिभाग करने और 31 जनवरी, 2018 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिए जाने के बाद, इस विलम्बित अपीलीय चरण अन्तर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम पर, अपीलकर्ता अपनी निष्क्रियता का लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि एक बार जब अपीलकर्ता ने दावा याचिका के गुणदोष के आधार पर न्यायालय को सम्बोधित करने के लिए कदम उठाया था, उस रूप में जिसमें यह न्यायालय के समक्ष मौजूद था, तो यह माना जाएगा कि वह सचेत थी और उसने स्वेच्छा से गुणदोष के आधार पर न्यायालय को सम्बोधित किया था और इसके उपरान्त कार्यवाही में असफल होने के बाद, कार्यवाही में भाग लेने में परिश्रम की कमी के कारण वह लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है।

10. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने स्वयं ही आवश्यक पक्ष के असंयोजन के प्रभाव के भार को कम करने का बहुत स्पष्ट प्रयास किया था, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत निहित प्रावधानों के आलोक में न्यायालय द्वारा निर्वहन किए जाने का भार दर्शाया गया है, जिसका अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहारा लिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 (2) में निम्नलिखित प्रावधानित किया गया है कि –

''(2) **न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा–** न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायानय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तवर्णित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए, न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड दिया जाए।''

11. यदि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 (2) के प्रावधानों की सरल भाषा को ध्यान में रखा जाता है, हालांकि अपीलीय न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग किया जाना था, ताकि कार्यवाही में आवश्यक पक्षों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जिनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही प्रभावी ढंग से निर्धारित नहीं की जा सकी, लेकिन जैसा कि पहले ही ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता को ऑटो रिक्शा के मालिक या ऑटो रिक्शा के चालक को आरोपित करने से नहीं रोका गया, ताकि न्यायालय को प्रभावी ढंग से सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिल सके, कि मुआवजे का भार किस पर स्थानांतरित किया जाना है।

12. चूंकि अपीलकर्ता ने 10 नवम्बर, 2017 को विवाद्यक विरचित किए जाने के बाद भी अपीलीय स्तर पर गुणदोष के आधार पर न्यायालय को सम्बोधित करने का विकल्पन चुना था, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के उपनियम (2) के तहत शक्तियों का प्रयोग करके आवश्यक पक्षकारों को शामिल करने में न्यायालय द्वारा किसी भी निष्क्रियता या परिश्रम की कमी के कारण पंचाट में दोष को इंगित नहीं किया जा सकता है।

13. अपीलाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार नहीं करने का एक और कारण है कि यदि सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 (2) के तहत निहित प्रावधानों को पूरी तरह से पढ़ा जाता है, तो वास्तव में यह ''सकता है'' शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कि यह एक कर्तव्य नहीं है, जो न्यायालय पर डाला गया है, की हमेशा सभी मामलों में पक्षकारों के अभिकथनों से स्वतंत्र, यह न्यायालय को तय करना और चुनना था कि कार्यवाही के लिए एक उचित पक्ष कौन होगा, जो डोमिनस लिटस के सिद्धान्तों के विपरीत होगा, वास्तव में न्यायालय को प्रतिवादी पक्ष चुनने का निर्णय लेने के लिए एक डोमिनस लिटस के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिवादी पक्ष का चयन हमेशा वादी के एक विशेष अधिकार क्षेत्र के भीतर होता है, जो अपनी शिकायतों के निवारण के लिए या राहत पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है।

14. इस प्रकार, इस न्यायालय का मत है कि जब जवाबदावा दाखिल करने के बाद पर्याप्त समय बीत चुका है, जानकारी और संवेदनशीलता दावेदार को दे दी गयी थी और जबकि दावेदार द्वारा दावा याचिका में आवश्यक पक्षकार बनाने चाहिए थे, ताकि उसे प्रभावी ढंग से निर्धारित किया जा सके। ऐसा नहीं करने के बाद, वह अपनी स्पष्ट गलती का लाभ नहीं उठा सकती है और वह भी तब जब दावा याचिका के पैरा 10 में दावेदार ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना ऑटो रिक्शा के कारण हुई थी। इसलिए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया यह तर्क का निष्कर्ष अपीलकर्ता के विरूद्ध दिया जाता है। क्योंकि यह न्यायालय की त्रुटि नहीं है, बल्कि यह दावेदार की त्रुटि है, जिसे एक युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने प्रतिवादी पक्ष को चुनना था, जिनसे उन्हें याचित अनुतोष लिया जाना था। इसलिए, इस अपीलीय स्तर पर यह तर्क अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के लिए उपलब्ध नहीं है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्ता के लिए अग्रेत्तर बहस की गयी है कि, इस प्रकार की घटना में, जहां अभिकथनों के आधार पर आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के प्रभाव का विशिष्ट विवाद्यक विरचित किया गया है, यह भार न्यायालय पर है कि वह एक विवाद्यक विरचित करे और उसे प्रारम्भिक विवाद्यक के तौर पर निस्तारित करे और इसलिए निर्णय उस परिप्रेक्ष्य से भी त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि आवश्यक पक्ष के असंयोजन के प्रभाव को आदेश 14 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था, जोकि निम्नलिखित है–

*''**[2. न्यायालय द्वारा सभी विवाद्यकों का निर्णय सुनाया जाना–** (1) इस बात के होते हुए भी कि वाद का निपटारा प्रारम्भिक विवाद्यक पर किया जा सकेगा, न्यायालय उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभी विवाद्यकों पर निर्णय सुनाएगा।*

(2) जहां विधि विवाद्यक और तथ्य विवाद्यक दोनों एक ही वाद में पैदा हुए है और न्यायालय की यह राय है कि मामले या उसके किसी भाग का निपटारा केवल विधि विवाद्यक के आधार पर किया जा सकता है वहां यदि वह विवाद्यक–

(क) न्यायालय की अधिकारिता, अथवा

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा वाद के वर्जन

से सम्बन्धित है तो वह पहले उस विवाद्यक का विचारण करेगा और उस प्रयोजन के लिए यदि वह ठीक समझे तो वह अन्य विवाद्यकों का निपटारा तब तक के लिए मुल्तवी कर सकेगा जब तक कि उस विवाद्यक का अवधारण न कर दिया गया हो उस वाद की कार्यवाही उस विवाद्यक के विनिश्चय के अनुसार कर सकेगा]''

16 इस न्यायालय का मत है कि कार्यवाही में पक्षकार का यह निर्णय होता है कि वह कुल विवाद्यक में से, जो दलीलों के आदान प्रदान के बाद तैयार किए जाते है तथा पक्षकारों के बीच विवाद के बिन्दु का निर्धारण करते है और यदि पक्षकार सुविचारित मत रखते है कि, प्रारम्भिक विवाद्यक पर निष्कर्ष आमंत्रित करके कार्यवाही का फैसला किया जा सकता है, तो यह हमेशा वाद दायर करने वाले पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि वह एक उपयुक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से प्रारम्भिक विवा़द्यक विरचित करने की प्रार्थना करे और उसका न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर मामले का फैसला करने से पहले निस्तारण करवाए, परन्तु अपीलकर्ता द्वारा कोई प्रार्थना पत्र दायर कर ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना गया जबकि उसको आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के प्रभाव के विषय में 10 नवम्बर 2017 को विवाद्यक विरचन पर जानकारी हो गयी थी।

17. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकार नहीं करने का एक और कारण है, कि आवश्यक पक्षकारों को शामिल न होने के विवाद्यक पर प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में निर्णय न लेने के प्रभाव के बारे में, इस न्यायालय का यह मत है कि माननीय

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय **(2017) 4 एससीसी 654, ए0 कंठमणि बनाम नसरीन अहमद,** के प्रकाश में जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रारम्भिक विवाद्यक पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी, जिसका मामले की पोषणीयता पर ही प्रभाव या प्रत्यक्ष असर पड़ता है, यह हमेशा वादी या दावे की पोषणीयता का विरोध करने वाले व्यक्ति का अधिकार है कि वह इसे विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए, और दावाकर्ता की अवर न्यायालय के समक्ष, विवाद्यक विरचित ना किए जाने के प्रभाव के सम्बन्ध में निष्क्रियता को प्रथम बार अपीलीय कार्यवाही में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के प्रभाव के विषय में विवाद्यक विरचित ना किया जाना और उसका प्रारम्भिक विवाद्यक के रूप में आदेश 14 नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ए0 कंठमणि (सुप्रा) के निर्णय के प्रकाश में निस्तारण ना कराए जाने को प्रथम बार अपीलीय न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता।

18. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा की गयी टिप्पणियों, विशेष रूप से पैरा 16 के तहत निहित टिप्पणियों की ओर लौटते हुए विवाद्यक संख्या 1 पर निर्णय लेते समय, जोकि उन परिस्थितियों के बारे में विवादित विवाद्यक नहीं है, जिनके तहत दुर्घटना घटित हुई और जो दावा याचिका की दलीलों से भी पुष्ट है।

19. इस न्यायालय का मत है कि पूरी दावा याचिका की नींव केवल विवाद के बाद प्रभावी अधिनिर्णय पर आधारित होती, जिसे विवाद्यक संख्या 2 पर निर्णय लेते समय पक्षकारों द्वारा रखा जाना चाहिए था, जो न्यायालय को एक स्वीकार्य और तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बना सकता था, कि मुआवजे का किस पर भार डाला जाना है और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्यों के लिए कि दोनों में से कौन सा वाहन वास्तव में दावेदार को चोट पहुंचाने के लिए जिम्मेदार था और इस प्रकार, आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित आदेश 14 नियम 2 सीपीसी के तहत निहित प्रावधानों के प्रकाश में दावेदार द्वारा कोई ठोस प्रयास किए जाने के अभाव में इस स्तर पर अपीलकर्ता पहली बार अपनी निष्क्रियता का लाभ प्राप्त करने के लिए दावा नहीं कर सकता है।

20. इसलिए मुझे 31 जनवरी, 2018 को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले में कोई विकृति या अवैधता नहीं मिलती है। तद्नुसार, आदेश से अपील विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)

13.04.2022